सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –185 ⁄ 2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. किशनलाल पुत्र धन्नालाल जाट निवासी उगाई तह.केकडी जिला अजमेर राज.

वादी

बनाम

1. रतनलाल पुत्र मोडू
2. छीतर पुत्र मोडू
3. रामचन्द्र पुत्र मोडू
4. श्योजी पुत्र मोडू
5. जमनी पुत्री भुवाना
6. गलकू पुत्री भुवाना
7. रामप्रसाद पुत्री घीसा
8. छोगा पुत्र हरदेव
9. हरिराम पुत्र हरदेव
10. धन्ना पुत्र जुवारा
11. बद्री पुत्र जुवारा
12. हंगामी पत्नि हरला
13. गंगाराम पुत्र हरला
14. श्रीकिशन पुत्र हरला फोत
15. गीता पत्नि लालाराम
16. गोपाल पुत्र लालाराम
17. सुरेश पुत्र लालाराम
18. मनोज पुत्र लालाराम
19. रतनी पुत्री लालाराम
20. गोरी पुत्री लालाराम
21. देवी पुत्र भूरा फोत
22. रामा पुत्र भूरा फोत

    समस्त जाति भील
23. गोपाल पुत्र रामनारायण जाट
24. भंवरलाल पुत्र धन्ना जाट
25. मनभर पत्नि महावीर
26. सीमा पुत्री महावीर
27. लाड पुत्री महावीर
28. शान्ता पुत्री महावीर
29. सरित पुत्री महावीर
30. श्योराज पुत्र घीसा

    समस्त जाति जाट निवासीगण उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर राज.
31. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांकः– 21.6.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सरसडी में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम उगाई तहसील केकड़ी के जमाबन्दी स. 2072–75 के खाता स. 24 के खसरा नम्बर 822/1162, 823, 824, 825, 827, 828 किता 6 कुल रकबा 2.12 हैक्ट. भूमि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसमे अन्य किसी दीगर व्यक्ति या प्रतिवादी स. 1 लगायत 30 का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी स. 1 लगायत 30 आये दिन वादी की भूमि पर अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जे करने की नियत से हैरान परेशान करते रहते है व सीमाचिन्ह जीर्णशीर्ण होने से वादी की भूमि पर काश्त करने पर आमादा रहते है। जिसके कारण यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट सरसड़ी में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उप.। पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार का जवाब पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके वाके वाके ग्राम उगाई तहसील केकड़ी के जमाबन्दी स. 2072–75 के खाता स. 24 के खसरा नम्बर 822/1162, 823, 824, 825, 827, 828 किता 6 कुल रकबा 2.12 हैक्ट. भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 21.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी